(f) Transfer is a condition of service and a normal occurrence in the career of a Government servant. All facilities and compensation packages as provided under the rules have been extended to the transferred employees.

(g) Does not arise.

Deposit of P. F. amount by MCD

1420. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Municipal Corporation of Delhi have not deposited its share for the employees' Welfare in their respective Provident Fund account for the last 18 months; and

(b) if so, the reasons therefor and the amount involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) Municipal Corporation of Delhi has reported that it has already paid its share under the C.P.F. scheme to the Provident Fund account and credit has been given to the individual accounts of the employees.

पत्तनों का विस्तार

1421. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1991 के दि टाइम्स आफ इंडिया में एक्सपोर्ट नीड पोर्ट्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में बढ़ते हुए आयात और निर्यात को मद्देनजर रखते हुए पत्तनों के विस्तार, उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार, पत्तनों में जहाजों पर सामान चढ़ाये जाने और उसे उतारे जाने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब से बचने तथा इस संबंध में भुगतानों में समानता लाने जैसे कुछेक सुधारात्मक उपाय किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, हां । संक्षेप में लेखक ने इसमें देश की परिवहन प्रणाली की उन कमजोरियों का मूल्यांकन किया है जो निर्यात में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि में बाधा बनेगी । लेखक ने कुछ निवारक उपायों का भी सुझाव दिया है ।

(ख) और (ग) पंचवर्षीय योजनाओं में पत्तन सुविधाओं अर्थात नये बर्थों का निर्माण, पत्तन प्रचालन के लिये पुराने उपकरणों को बदलना और नये उपकरण खरीदना आदि के विकास के लिये धन राशियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वार्षिक योजना 1991-92 में पत्तन क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिये 528.27 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है । उत्पादकता बढ़ाने और प्रचालन खर्च तथा अनावश्यक मदों को नियंत्रित करके कार्गो हैंडलिंग लागतों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

Implementation of the Supreme Court Judgement for the promotion of the officers of the Sanitation Department of MCD

1422. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. E. BALARAM:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the authorities of Delhi Municipal Corporation